परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के अंतर्गत राज्य शासन की कंपनियां और सांविधिक निगम आते हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूरा करने के लिए की गई है और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। 31 मार्च 2018 को, मध्य प्रदेश में 74 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिनमे तीन[1] सांविधिक निगम (एक अकार्यशील सांविधिक निगम[2] सहित) और 71 सरकारी कंपनियां (16 अकार्यशील सरकारी कंपनियों सहित) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में थे। इन सरकारी कंपनियों में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष के दौरान दो[3] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अपनी धारक कंपनी[4] के साथ समामेलन किया गया।

2. 31 दिसंबर 2018 को नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति और लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका 1: प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे समीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त किए गए				सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 31 दिसंबर 2018 को लंबित हैं (कुल बकाया लेखे)
		2017–18[5] तक के लेखे	2016–17 तक के लेखे	2015–16 तक के लेखे	योग	
इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सरकारी कंपनियां/सांविधिक निगम						
कार्यशील सरकारी कंपनियां [6]	43	21	17	05	43	00
सांविधिक निगम	02	02	00	00	02	00
कुल कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**45**	**23**	**17**	**05**	**45**	**00**
इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नही की गई सरकारी कंपनियां/सांविधिक निगम						
कार्यशील सरकारी कंपनियां [7]	12	04	02	01	07	05(28)
अकार्यशील सरकारी कंपनियां[8]	16	08	01	00	09	07 (116)
अकार्यशील सांविधिक निगम[9]	01	00	00	00	00	01 (10)
कुल अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**29**	**12**	**03**	**01**	**16**	**13(154)**
योग	**74**	**35**	**20**	**06**	**61**	**13(154)**

---

1 मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम।
2 अकार्यशील उपक्रम वे है जिन्होंने अपनी गतिविधियों का संचालन बंद कर दिया है।
3 सेज लिमिटेड और क्रिस्टल आईटी पार्क लिमिटेड।
4 मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड।
5 जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक।
6 सरकारी कंपनियों मे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) में निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों शामिल हैं।
7 ***परिशिष्ट 3.2*** में क्र. सं. 1 से 9 एवं ***परिशिष्ट 1.1*** में क्र. सं. ड़ 9 से ड़ 11 पर विदित कंपनियां।
8 ***परिशिष्ट 3.2*** में क्र. सं. 10 से 20 और 22 से 25 एवं ***परिशिष्ट 1.1*** में क्र. सं. ड़ 8 पर विदित कंपनियां।
9 ***परिशिष्ट 3.2*** में क्र. सं. 21 पर विदित निगम।

इस प्रतिवेदन मे ऐसे 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिनके तीन या अधिक वर्ष के लेखें बकाया थें या निष्क्रिय/ परिसमापनाधीन हैं या जिनके पहले लेखे प्राप्त/ देय नहीं हुए थे या जिंहोने 2017–18 तक अपना कार्य आरंभ नहीं किया था, शामिल नहीं है, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.1 और 3.2*** में दिया गया है । इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 31 दिसंबर 2018 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 81,694.55 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर था। यह टर्नओवर 2017–18 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (₹ 7,07,046.99 करोड़) के 11.55 *प्रतिशत* के बराबर था। इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 3,961.81 करोड़ की हानि वहन की। इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे मार्च 2018 को लगभग साठ हजार कर्मचारी कार्यरत थे।

इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गये 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एक सांविधिक निगम सहित) में पूंजी (₹ 448.12 करोड़) और दीर्घावधी ऋण (₹ 933.68 करोड़) सहित ₹ 1,381.80 करोड़ का निवेश है। यह एक आलोच्य क्षेत्र है क्योंकि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का राज्य के आर्थिक विकास मे योगदान नहीं है।

उत्तरदायित्व संरचना

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गयी हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमे कम से कम इक्यावन *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार/सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा निवेश की गयी है और इसमें वह कंपनियां भी शामिल हैं जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इसके अलावा, ऐसी अन्य कंपनी[10] जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों मे निहित हो, इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप मे संबोधित की गयी हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) और (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) मे प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, प्रथम लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के भीतर सीएजी द्वारा की जानी है और यदि उक्त अवधि के भीतर सीएजी लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो ऐसी स्थिति मे निदेशक मण्डल अथवा कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

इसके अलावा, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप–धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) यदि चाहे तो, धारा 139 की उप–धारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली कंपनी के मामले मे, एक आदेश द्वारा, इस प्रकार की

[10] कंपनी मामलों का मंत्रालय (कठिनाइयाँ को हटाया) सातवीं आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014।

कंपनियों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा संपादित करवा सकते है तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19अ के प्रावधान लागू होंगे । इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य सरकारी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होती है । 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व मे प्रारम्भ हुए वित्तीय वर्षों के कंपनी के वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (जैसा अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है), के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है । सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित कंपनी की वित्तीय विवरण की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करता है। ये वित्तीय विवरण भी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। तीन सांविधिक निगमों में से सीएजी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5. समय पर अंतिम रूप दिए जाने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कार्यचालन और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार करनी होती है और तैयार होते ही शीघ्रातिशीघ्र उसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गयी किसी टिप्पणी या पूरक टिप्पणी के साथ विधायिका या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह व्यवस्था राज्य की संचित निधि में से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए हर कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि दो वार्षिक आम बैठकों की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129, के अनुसार उक्त ए.जी.एम. में वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) मे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, निदेशक सहित, पर कारावास एवं आर्थिक दंड की वसूली के लिए प्रावधान है।

सरकार और विधायिका की भूमिका

6.राज्य शासन अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मण्डल के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं।

राज्य विधानमंडल लेखांकन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के उपयोग पर भी नजर रखता है। इसके लिए अधिनियम 2013 की धारा 394 अथवा जैसा संबंधित अधिनियमों में निर्धारित हो, के तहत राज्य की सरकारी कंपनियों के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा सीएजी की टिप्पणीयाँ और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाना चाहिए। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19अ के तहत राज्य शासन को प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निवेश

7. मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च वित्तीय हित निहित है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार से है:

- **शेयर पूंजी और ऋण** – शेयर पूंजी योगदान के अलावा, म.प्र.शा. समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**– म.प्र.शा. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आवश्यकतानुसार अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **गारण्टी** – म.प्र.शा. वित्तीय संस्थाओं से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण को मय ब्याज़ के चुकाने की गारण्टी भी देता है।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का 31 मार्च 2018 की स्थिति मे क्षेत्र–वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र–वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनी		सांविधिक निगम		योग	निवेश (₹ करोड़ मे)		
	कार्यशील	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं	कार्यशील	इस प्रतिवेदन मे शामिल नहीं		पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग
ऊर्जा	07	04	–	–	11	25,482.46	44,345.07	69,827.53
ऊर्जा के अतिरिक्त	36	24	02	01	63	2,247.20	4,472.41	6,719.61
योग	**43**	**28**	**02**	**01**	**74**	**27,729.66**	**48,817.48**	**76,547.14**

स्रोत: *सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखे और पूंजी तथा ऋण के लिए मंजूरी/निस्तारण आदेश के आधार पर संकलित।*

पिछले तीन वर्षों में सरकारी उपक्रमों मे निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में रहा। 2015–16 से 2017–18 के दौरान किए गए कुल निवेश ₹ 19,549.71 करोड़ मे से ऊर्जा क्षेत्र में ₹ 17,459.90 करोड़ (89.31 *प्रतिशत*) का निवेश किया गया था।

9. 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के अंत में ऊर्जा और गैर–ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश को नीचे दिए गए चार्ट में इंगित किया गया है:

चार्ट 1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र–वार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

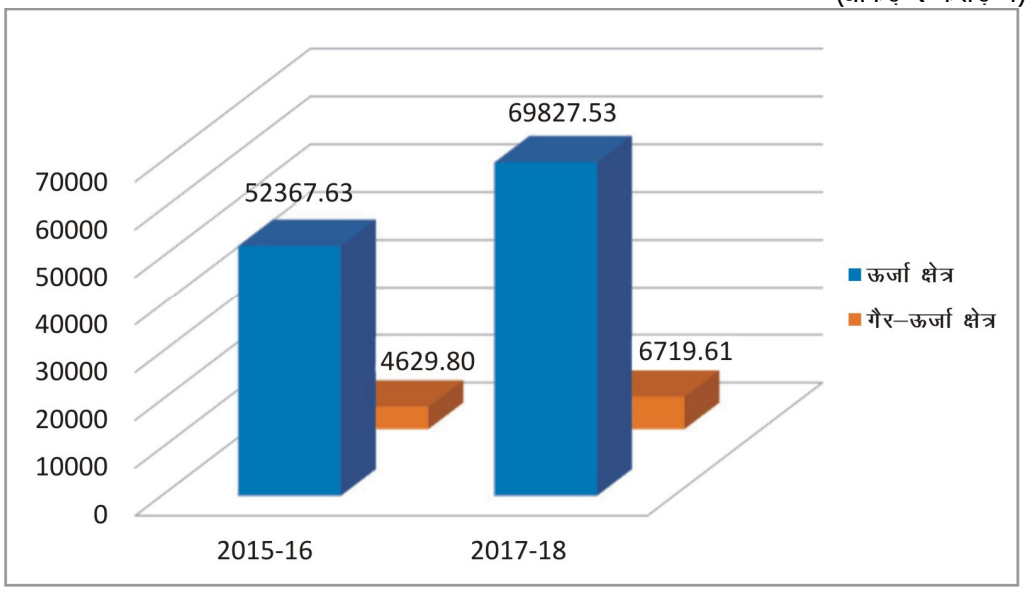

ऊर्जा क्षेत्र में हुए बड़े निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग 1[11] में ऊर्जा क्षेत्र के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भाग 2[12] में 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र) के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं ।

[11] भाग 1 मे अध्याय 1 (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) और अध्याय 2 (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियॉं) शामिल हैं।

[12] भाग 2 मे अध्याय 3 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप), अध्याय–4 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) और अध्याय–5 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियॉं) शामिल हैं।